हरियाणाा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 सितम्बर, 1985

खण्ड 2 अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भानिवार, 28 सितम्बर, 1985

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(3)21
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3)22
वाक आउट	(3)25
वयतव्यः–	
मुख्यमंत्री द्वाराए कालका का उप–मण्डल के रूप मे रखने तथा मैथ्यू आयोग के समक्ष क्षेत्रीय दावे करने संबंधी	(3)25
अध्यक्ष द्वारा घोशणा–	
श्री सुजान सिंह एम.एल.ए. के त्याग–पत्र सम्बन्धी	(3)28
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)28
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)29
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(3)29

बिल्जः—	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 3) बिल, 1976	(3)29
(ii) दि हरियाणा कौमन परपजिज लैंड ऐक्वि ान एंड रैंट रिकवरी बिल, 1985	(3)31
(iii) दि कोड औफ क्रिमिनल प्रोसोजीर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1985	(3)33
(iv) दि पंजाब सिनेमाज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1985	(3)34
(v) दि पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडै ान) बिल 1985	(3)36
(vi) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांऊसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमेंट बिल 1985	(3)38
(vii) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन ान एंड मैडिकल फेसिलिटीज (अमैंडमैंट) बिल 1985	(3)40

हरियाणा विधान सभा

भानिवार, 28 सितम्बर, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ में 9.30 बजे प्रातः हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज अब सवाल होगें।

Comkpensation for Land acquired for Jui, Ningana and Swani Canals

***1042. Ch. Surender Singh:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state the names and addresses of the persons, if any, who are yet to be paid compensation for their lands acquired for the construction of Jui, Ningana and Siwani Canals together with the amount to be paid in each case to-date?

Irrigation and Power Minister (Ch. Samsher Singh Surjewala):

(a) The names and address3es of the persons who are yet to be paid compensation for lands acquired for construction of Jui, Ningana and Siwani Canals shall be assailable as and when the awards are announced.

(b) The information regarding the amount to be paid will be available only after the awards are announced by the

concerned Lad Acquisition Officer/Distt. Revenue Officer, which are expected shortly.

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सिवानी कैनाल के लिए जमीन ऐक्वायर करने का अर्सा 10 साल से ज्यादा का हो गया है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे कौन कौन से मालकान है जिनको अभी कम्पनसे ान देने को रहता हैं? अगर इनके पास उनके ऐड्रैसिज न हो तो ये उनकी संख्या ही बता दे जिनका मुआवजा एवार्ड की वजह से रूका हुआ है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, जुई निनगाना और सिवानी कैनाल्ज के लिए 4610.94 एकड टोटल जमीन ऐक्वायर की गई थी। यह जमीन सन् 1975 से 1983 के बीच के अर्से मे डिफरैन्ट माईनज और डिस्ट्रिब्यूटरीज के लिए डिफरैन्ट डेटसव को ऐक्वायर की गई थी। The Total compensation to be paid was Rs. 17884000. The land for which the compensation remains to be paid is only 216.52 accres and the amount to be paid for this land is Rs. 20.19 lakhs. डिले का कारण यह है कि इन दोनों सिस्टम्ज मे, जहां कम्पनसे ान नही दिया है, कि तवार सिस्टम था और इसी दौरान वहां कंसालिडे ान भी हुइ। अभी भी 6 गांव ऐसे बाकी है जहां कंसोलीडे ान नही हुई हैं। जहां कंसौलिडे ान हो चुकी है उनके लिए रूपया डिपौजिट किया जा रहा है और उनको कम्पनसे ान जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।

Posts lying vacant in the Haryana State Electricity Board

***1031. Sh. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the division-wise and category-wise number of posts lying vacant at present in the Haryana State Electricity Board; and

(b) The date/dates since when the vacancies referred to in parts (a) are lying as such together with the time by which thesame are likely to be filled up?

Irrigation and Power Minister (Ch. Samsher Singh Surjewala):

(a) & (b) There are at present over 60 division existing Haryana State Electricity Board under the control of various organizations viz. Operation, Construction etc. over 50 deferent categories of employees are working in these division. The collection of information from these offices is an enormous work as in case of a large number of divisions the information regarding period of vacancy has to be further collected from over 200 sub-divisions/sub-offices situated all over the State and the object desired to be achieved by collecting this information may not be commensurate with the time and efforts spends in collecting the same.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा मे एच. एस.इ.बी. के तहत इंजीनियर्ज, टैक्निकल हैंन्डज और दूसरे कर्मचारियो की हजारो वेकैनसीज पड़ी है जिसके कारण लोगो को बड़ी असुविधा होती हैं। मै चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री अध्यक्षः आप किसी स्पैसिफिक जगह के बारे मे पूद ले। मिसाल के तौर पर फरीदाबाद, अपने हल्के या गुड़गांव के बारे मे पूछ लें। आप सारे हरियाणा के बारे मे पूछे।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सारे हरियाणा मे ही रिक्रूटमैंट पर बैन लगाया हुआ हैं। न किसी एस.डी.ओ. की अप्वायमैंट हो सकती और न किसी और टेक्निकल हैड की रिक्रूटमैंट हो सकती हैं। परिणामस्वरूप आप हजारों एस.डी.ओज. और लाईन सुप्रिन्टैन्डैन्टस आदि की पोस्टस खाली पड़ी है। इनको यह इन्फर्मे ान तो अव य बतानी चाहिए थी।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, इस वक्त सारे हरियाणा मे एच.एस.ई.बी. के तहत डिफरैन्ट कैटेगरीज की 1360 पोस्टस वेकेनट है। इनमे से बहुत सी वेकैन्सीज पिछले एक दो साल मे आकर हुई हैं। इसका रीजन सर यह है कि पिछले डेढ दो साल से इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड आपरे ान एम.एन.टी. और कैरी कौम्यूनिके ान आर्गेनाईजे ान को स्ट्रीमलाईन करने के लिये डिफरैनट ऐक्सरसाइजिज कर रहा हैं। 18.12.1982 से इसने एज ए इकौनोमी मैयर रिक्रूटमेंट पर ब्लैकेंट बैन लगा रखा है। असैन्ि ायल पोस्टस के बारे मे बोर्ड ने फैसला लिया है कि इन को थ्रू प्रमो ान फ्रिल अप किया जाएगा। जहां तक एल.डी.सीज. मीटर रीडर्ज और बिल डिसिट्रब्यूटर्ज की पेास्टस को सम्बन्ध है, उन्हे वर्क चार्जड ऐम्पलाईज डेली वेजिज पर लगे हुए कर्मचारियों

मे से इनटरव्यू लेकर फिल अप किया जाएगा। इसके लिए 2 स्ीनिंग कमेटीज बनी हुई है। वे वर्क चार्जड और दूसरे एम्पलाईज का इन्टरव्यू करके पोस्टस को फिलअप कर रही है। मीटर रीडर्ज की 205 पोस्टस उन्होने फिल अप कर दी है। 290 है कि टेक्निकल पोस्टस को भी वर्क चार्जड और दूसरे ऐम्पलाईज मे से जो क्वालिफिके ान फुलफिल करते है, जिनका कंडक्ट अच्छा है, सर्विस रिकार्ड अच्छा है,फिल अप किया जाएगा।

Tourist restaurant cum tourist spots

***1022. Smt. Sharda Rani :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any tourist restaurant is being run by the Haryana Tourism Corporation in the PWD Rest House at Ballabhargh town;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a separate building for the said restaurant at the above referred town; and

(c) if reply to part (b) is in the affirmative the time by which the above said proposal is likely to be implemented?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां।

(ख) अभी नही।

(ग) भाग (ख) पर जवाव को देखते हुए इसका प्र न उत्पन्न नही होता।

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ एक तहसील हैडक्वार्टर है। वहां पर एक पुराना रैस्ट हाउस था लेकिन इन्होने रैस्टोरेंट खोल दिया तो मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उस रैस्ट हाउस को खत्म करना चाहती है या रैस्टोरैंट को बन्द करना चाहती है?

चौधरी भजन लालःअध्यक्ष महोदय, भाारदा जी बहुत दिनो से कह रही थी कि बल्लभगढ़ मे एक रैस्टोंरैंट बनना चाहिए।यह रैस्ट हाउस चूंकि खास काम नही आता था इसलिए हमने सोचाा कि इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा और भाारदा जी की बात भी पूरी हो जाएगी।

श्रीमती भाारदा रानीःअध्यक्ष महोदय, मैने रेस्टोरेंट रैस्ट हाउस मे खोल9ने के लिए नही कहा था।

चौधरी भजन लालः आपने यह कहा था कि रैस्टोरैंट खुलना चाहिए। हमने बाकायदा रैस्टोरैंट खोल दिया है। (विघ्न) रैस्ट हाउस का जहां तक ताल्लूक है वह फरीदाबाद मे बना हुआ हैं। फरीदाबाद मे एक और रैस्ट हाउस बनने जा रहा हैं। वैसे तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ पास पास है और रैस्ट हाउस की कोई दिक्कत महसूस नही होगी लेकिन फिर भी यदि महसूस किया

जाएगा कि वहां भी रैस्ट हाउस बनना चाहिए तो सरकार उस पर जरूर विचार करेगी।

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार को बल्लभगढ से क्या दु मनी है? वहा पूरानी चीजे तो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही हैं लेकिन नई चीज कोई नही बन रही हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैने यह कभी नही कहा कि रैस्टोरेंट रैस्ट हाउस मे बनना चाहिए। मैने यह जरूर खुलना चाहिए। बस स्टेण्ड पर जो मौके की जगह है वहां अनअथोराइज्ड कब्जे होते जा रहे हैं और एक बुरा दृ य जी.टी. रोड पर देखने को आ रहा है। वहा अगर एक छोटा सा रैस्टोरैंट बन जाए तो ठीक रहेगा। मैने यह तो हमे ाा कहा है कि लेकिन मैने यह कभी नही कहा कि रैस्ट हाउस खत्म कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह केवल दो कमरों का रैस्ट हाउस था लेकिन उसे भी समाप्त किया जा रहा हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, भारदा जी ने अभी कहा कि बल्लभगढ का खत्म किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नही है। जिस रैस्ट हाउस का ये जिक्र कर रही है उसमे बहुत लोग नही ठहरते थे। आप साल भर के आकड़े उठा कर देख लें, पता लग जाएगा कि कितने लोग वहां ठहरे है। (विघ्न) वह खास यूज मे नही आ रहा था, इसलिए वहा रैस्टोरैंट खोल दिया हैं। मैने पहले भी कहा है और अब फिर कहता हूं कि अगर वहां रैस्ट हाउस बनाने की जरूरत महसूस हुई तो सरकार इस बात पर

अव य विचार करेगी। हलांकि वहा रैस्टारैंट खोलने की खास जरूरत नही थी क्योकि फरीदाबाद मे रैस्टोरैंट हैं, बड़खल मे रैस्टोरैंट है और होडल मे भी रैस्टोरैंट है लेकिन इनके बार बार कहने के बाद हमने वहां भी रैस्टोरेंट खोल दिया।

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, एक चीज तो खोल दी लेकिन दूसरी बन्द कर दी । इसका फायदा क्या हुआ?

Mr. Speaker: Next Question.

तारांकित प्र न संख्या 1039

यह प्र न पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य सैठ राम दास धमीजा सदन मे उपास्थित नही थें।

तारांकित प्र न संख्या 1001

यह प्र न पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य डा.भीम सिह दहिया, सदन मे उपास्थित नही थें।

Pension for hadicapped, Old aged Pensons and widows.

***1032. Sh. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) The total number of application received from the handicapped parson, old aged person and widows for teh grant of pension during the year 1984-85 in the state;

(b) The number of applicants out of those referred to in part (a) above who have received the pension; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the allocation of funds for the grants of pension to the person as referred to in part (a) above?

उधोग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया):

(क) वर्श 1984–85 मे तीनों पैं ान योजनाओं मे प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार से है:–

(i)	विकलांग व्यक्तियों को पैं ान	3590
(ii)	वृद्वाव्स्था पैं ान	10250
(iii)	विधवा एंव निराश्रित औरतों को वितीय सहायता	3045
	कुल	16885

(ख) पैं ान स्वीकृत किए गए कुल आवेदको की संख्या निम्न प्रकार से है:–

(i)	विकलांग व्यक्तियों को पैं ान	800
(ii)	वृद्वाव्स्था पैं ान	740
(iii)	विधवा एंव निराश्रित औरतों को वितीय सहायता	1008
	कुल	2548

(ग) हां

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, आदरणीय बहिन जी ने बताया कि सन् 1984–85 मे विंकलांग एंव वृद्व व्यक्तियों तथा विधवाओं की आव यकता की 16885 एप्लीके ान आयी जिन्होनें सहायता मांगी है। इनमे से केवल 2548 लोगो को सहायता सरकार दे सकी हैं। मै आपके जरिए बहिन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस धन रा ि ा को बढाने की कोई योजना है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: जी हां।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, सरकार ने हैन्डीकैप्ट की परिभाशा बडी़ अजीब सी दी है। जिसका कन्धे मे से बाजू कट जाता है तो उसे हैन्डीकैप्ट मान लिया जाता है परन्तु जिसका आगे से यानी पहुचा से कट जाता है उसे हैन्डीकैप्ट नही माना जाता हैं। भारीर का कोई अंग डिफैक्टिव हेा जाए उसे हैन्डीकैप्ट माना जाना चाहिए और डाक्टरों को हिदायत होनी चाहिए कि किसी का भी अंग कट जाए उसे हैन्डीकैप्ट माना जायें।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: जिसको हैन्डीकैप्ड करार दिया जाता है वह परसैन्टैज पर आधारित होता है कि वह कितने परसैन्ट हैन्डीकेप्ट है औरप उसके बाद ही उसे पैन ान दी जाती है। जो आदमी 70 परसैन्ट हैन्डीकैप्ड है उसे ही पैन ान दी जाती हैं। जैसा कि भले राम जी बता रहे ळ कि किसी का आगे से हाथ ही कट जाए तो उसे भी हैन्डीकैप्ड माना जाए। उसके लिए सरकार ने अंग चढाने का प्रावधान कर रखा हैं। कृत्रिम अंग चढाने

पर वह उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से दूसरा व्यक्ति काम करता है। सरकार किसी न किसी तरह से विकलांग व्यक्ति, वृंद्व व्यक्तियों तथा विधवाओ की सहायता करना चाहती है और करती हैं।

चौधरी नेकी रामः स्पीकर साहब, कुल 16885 दरखास्ते प्राप्त हुई जिनमे से 2548 मंजूर हुई। मै मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि बाकी की दरखास्ते कन्सिडर न करने का क्या कारण है? दूसरे मै यह भी जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्अवाईज क्या ब्रैकअप हैं?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, विकलांग व्यक्तियों की 3590 एप्लीके ान्ज प्राप्त हुई जिनमे से 800 ही ठीक पायी गई और 800 की पैं ान स्वीकृत हुई। वृद्वावस्था पैं ान की 10250 एप्लीके ान्ज आयी जिनमें 6150 ठीक पाई गई और 740 की पैं ान स्वीकृत की गई। विधवा एंव निराश्रित औरतों की 3045 एप्लीके ान्ज आयी जिनमे से 1026 ठीक पायी गई और 1008 की पैं ान स्वीकृत की गई। जिला वाईज ब्रेक अप भी मै बता सकती हूं।

श्री अध्यक्षः आप डिस्ट्रिक्ट सिरसा की भी बता दें।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः जिला सिरसा मे वृद्वावस्था पैन् ान की 195 एप्लीके ान आयी ओर जो क्षेत्रीय एजेन्सियों के पास पड़ी हुई हैं जो लम्बित केसिज है वे 80 से हैं।

इस प्रकार कुल 275 एप्लीके ान आयी हैं। विकलांग पैन ान के लिए आठ एप्लीके ान्ज क्षेत्रीय एजेन्सियों के पास पड़ी है और 191 लम्बित केसिज है। इस तरह से कुल 199 केसिज है।

श्री ए.सी. चौधरीः स्पीकर साहब, इसमे कोई भाक नही है कि यह स्कीम काफी सहारनीय है। स्पीकर साहब, मै आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फिजिकली हैण्डीकैप्ट के मामले मे तो टैस्ट की बात हाती है इसलिए उसमे तो डिस्प्यूट हो सकता है लेकिन ओल्ड ऐज और बिडोज के मामले मे यह कह देना कि एप्लीके ान्ज ठीक नही पायी गईप या उनमे कोई कमी जायी गई, इस बात को मै उचित नही समझता। जिस औरत का घरवाला गुजर गया वह विडों हो गई और जो 55 साल से ऊपर हो गया वह औल्ड एज्ड हो गया। ओल्ड ऐज पैन ान के लिए 10250 एप्लीके ान आयी और 740 औरतों और आदमियों को पैन ान दी गई। इसी तरह से विधवा औरतों और निराश्रित औरतों की 3045 एप्लीके ान्ज आयी और 1008 को पैन ान दी गई। मै आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। दूसरे जो लेाग सरकार के आसरे पर ही जीवीत है उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, आवेदन पत्र देते समय समजा क्लयाण अधिकारी, जिला क्लयाण अधिकारी, खंड और पंचायत अधिकारी, तहसीलदार और उप–मण्डल अधिकारी से तसदीक करवाया जाता हैं। इसके बाद पैन ान देने

को प्रावधान है। इसलिए किसी न किसी से जांज होने मे कोई त्रुटि रह जाती है, जिस कारण से ठीक एप्लीके ान न पाने पर रिजैक्ट हो जाती हैं। दूसरी एक बात और नोटिस मे लाना चाहती हूं कि मनीआर्डरप के माध्यम से पैन ान भेजी जाती है, उसमे रसीद की भार्त होती हें अगर वहां से रसीद नही आती है तो भी पैन ानप रोक दी जाती हैं। कई बार जब पोस्ट आफिस वाले रसीद भेजते हे तो वह रास्ते मे गुम हो जाती हैं। (विघ्न)

श्री ए.सी. चौधरीः स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि 10250 एप्लीके ानज ओल्ड ऐज पेन ान के बारे मे आयी और 3045 एप्लीके ान्ज विडोज की पैन ान के बारे मे आयी। उसके जवसाब मे आपने फरमाया है कि 10250 के अगेन्सट 740 को पैन ान दी ओर 3045 के अगेस्ट 1008 को दी। मै तो यह कहता हूमं कि जो विडो हो गई वह तो विडो ही है जो डैस्टीच्यूट हो गई वह डैस्टीच्यूट है और जो ओल्ड ऐज मे आ गया वह ओल्ड है। जब आपने इतने लोगो को पैन ान दे दी तो बाकी के क्या जवान हो गये या विधवाओं की भाादिया हो गई। अगर यह बात नही हुई तो आप उन्हे पैन ान दे। ये लोग आप लोगो के सहारे 75 रूपये के लिए बेमौसम बारि ा की तरह से इन्तजार करते रहते है।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः हम 75 रूपये पैन ान नही दे रहे हैं। हम पचास रूपये विकंलाग को, 60 रूपये वृद्वास्था को और पचास रूपये विधवा औरतों को पैन ा दे रहे है। जहां

तक पैन ान न देने का सवाल है, कई बार किसी के बच्चो को आमदनी ज्यादा होती है वह भी पैन ान के लिए एप्लाई कर देता है। हमारे कोई मंत्री जी जाते है तो वे कह देते है कि सरकार की तरफ से इन इन लोगो को पैन ान दी जाती है। रैडियो से भी हमारी ओर से अनाउन्समैंट होती रहती है। इसमें कोई संदेह नही कि धन की भी कमी रही है लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने सो ाल वेल्फेयर विभाग को वित विभाग से पचास लाख रूपया दिलवा दिया हैं जो एप्लीके ान्ज पेन्डिंग पड़ी है उन्हे पैन ान दे दी जायेगी और भोश के लिये फाइनेन्स डिपार्टमैंट का अपना केस भेज रहे है।

श्री ए.सी. चौधरीः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का सही जवाब नही आया।

श्री अध्यक्षः आपकी बात का जवाब आ गया है यह कहती है कि जो लोग एप्लाई करते हैं वे सब उस कैटेगेरी मे नही आते। उनमे से कई के बच्चे जवान होते है कई का जायदाद ज्यादा होती है या इन्कम ज्यादा होती है इसलिए उन्हे पैन ान नही देतें। जो पैडिंग एप्लीके ान है उन्हे जल्दी ही डिस्पोज आफ कर देगी।

श्री ए.सी. चौधरीः बहिन जी ने जो बात कही उसे आपने एक्सप्लेन कर दिया उससे मै कुी हद तक सन्तुश्ट हूं लेकिन मै बहन जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो

उन्हे पैन ान टाईम पर दी जाये क्योकि पहली कि त अभी मिली है और दूसरी पता नही कब मिलेगी। मै मुख्य मंत्री जी से भी खास तोर पर प्रार्थना करूंगा कि यह जो 50 और 60 रूपए पैन ान दे रखी है यह बहुत कम हैं। 50–60 रूपये मे तो जिललत महसूस होती है। इसलिए मै सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे मे बढोतरी पर विचार करेगी?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, हमारे यहां त्रेमासिक पैन ान देने का प्रावाधान है। मैने पोस्ट आफिस की बात इसलिये कही है क्योंकि कई बार पोस्अ आफिस की वजह से भी देरी हो जाती है। देरी अक्सर इसलिये हो जाती है क्योंकि पैन ान के केस बहुत ज्यादा होते है। इसलियें हम विकलागों, वृद्वों और विधवाओ का समय पर पैन ान देने के लिये नीति को बदलना चाहते है। नीति का बदलने की बात विचाराधीन है और पैन ान की अमाउंट बढाने कीबात भी विचाराधीन हैं।

चौधरी फूल चन्द: मंत्री महोदया ने यह बताया है कि तीनो केटेगरीज की इतनी इतनी एप्लीके ान्ज पैंडिंग पड़ी हुई है। मे एक बात तो यह जानना चाहता हूं कि उन एप्लीके ान का निर्णय कब तक कर देगें। दूसरा सवाल मै यह और पूछना चाहता हूं जो केसिज डिसाईड भी हो चुके है जिनकी पैं ान मंजूर भी हो चुकी है और कुछ अर्सा तक पैंन ान मिलने के बाद उनकी पैं ान बन्द हो जाती है इसका क्या कारण है, क्या उनका फिर से पैन ान देने की कृपा करेगें?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, किसी व्यक्ति वि ोश की बात तो मेरे नोटिस मे नही है लेकिन अक्सर होता है कि जब मनीआर्डर लेरि डाकिया जाता है तो बूढी ओरते या जो विकंलाग व्यक्ति होते है कई बार दो चार दिन या महीना या दो महिनों के लिए कही चले जाते है तो वहा पर उनके पड़ोसी कह देते है कि वह तो यहा पर नही है या वह मर गया हे तो वहा पर उनका मनीआर्डर वापिस आ जाता है। इसलिये डिसक्न्टीन्यू हो जाती हैं जहां तक उनको देरी से पैन ान मिलने का सवाल है, मै पहले ही बता चुकी हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस किस्म की दिक्कत देखकर एक मीटिंग बुलायी। उन्होने वित विभाग को भी यह आदे ा दिया कि इस किस्म की दिक्कत नही आनी चाहियें। ऐसे व्यक्तियों के लिये कितने पैसे की आव यकता हैं, यह मुझे समय पर बात दिया जाया करों। उनको समय पर पैसा मिल सके, इसलिये उन्होने हमे 50 लाख रूपये दिलवाये है।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इस पैंन ान के लेने के लिए लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। इस मे एक सब से बड़ी दिक्कत है, उस के बारे मे मै सरकार के नोटिस मे यह लाना चाहता हूं कि उस को सिपमलीफाई किया जायें। टैक्से ान का जैसे ढांचा होता है या इन्कम टैक्स का ढांचा है उस को भी सिम्पलीफाई किया गया है। पार्लियामैंन्ट के या असैम्बली के जो मैम्बर्ज है, उन को यह जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए कि वे अटैस्अ कर दे और उन की अटैस्टे ान को मान

लिया जायें। इस आधार पर उनको पैं ान मिलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि एम.एल.एज. और पार्लियामैंट के मैम्बर्ज की अटैस्टे ान पर ही ऐसे लोगों को पैं ान मिल जानी चाहिए। क्या इस बात पर सरकार विचार करेगी ताकि लोगो को जल्दी से जल्दी पैं ान मिल सकें?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, यह सवाल बहुत अहम है क्योकि गरीब आदमियों की जिन्दगी का सवाल हैं और बेसहारा आदमियों का जिन्दगी इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए हम ने पीछे एक मीटिंग भी की थी। जैसे कि बहन भाकुन्तला जी ने हाउस का बताया है, हम जल्दी पैं ान देने के लिए बड़ी गहराई से विचार कर रहे है। इसके लिए हम से एक हफता पहले ही 50 लाख रूपया सैक ान किया है। हम यह भी कोि ा ा कर रहे है कि इस साल मे कम से कम 7000 नये लोग एड किए जाये ताकि जो पैंडिंग एप्लीकेशन है उन सक का निपटारा किया जा सके। जहां तक श्री लछमन सिंह जी की बात का ताल्लूक है कि एम.एल.ए. की रिकोमैंडे ान पर या एम.पी. की रिकोमेडे ान पर या उसकी अटैस्टे ान पर पैं ान मिल जाए, यह बड़ा मुि कल काम है क्येाकि एम.एल.ए. या एम.पी. किसी को भी इन्कार नही कर सकेगा। जो उस के पास जाएगा साईन तो उसको जरूर करने ही पड़ेगें। (व्यवधान व भाोर) कई दिक्कते आयेगी। सियासी आदमियों के लिए यह बात मुि कल है कि वे जैमुअन आदमियों के फार्म ही अैस्स्ट करे। जो भी आदमी जाकर

खड़ा हो होगा उसके लिए किसी आदमी को इन्कार करना बहुत मुि कल होता हैं। इस के अलावा फिर हूं यह भी देखना पड़ता है कि उस की आमदनी कितनवी है और कोई जरिया आमदनी का है या नही है तथाउस की जमीन रिकार्ड के मुताकिब कितनी है। (व्यवधान व भाोर) सरकार सही नीयत से यह चाहती है कि जो बेसहारा लोग हे कम से कम उन लोगो के खाने का इन्तजाम कर सके लेकिन मुि कल की बात यह है कि हमारे साधन बहुत सीमित है। हमें अपने साधनो का भी ध्यान रखना पड़ता हैं अगर हम इस पैंशन की अमाउन्ट का बढा दे तो जिन का हम पैं ान देते है अगर हम इस पैं ान देते है उन की संख्या कम हो जाएगी। हम 60 रूपये दे कर कम से कम गरीब आदमियों को थोड़ा बहुत रोटी पानी का इन्तजाम करने मे मदद तो कर रहे है। हमने इस बात के लिए भारत सरकार को भी लिखा है कि हमें इस बारे मे कुछ मदद करे ताकि हम इन लोगों की पैं ान 60 रूपए से बढा कर 100 रूपए तक कर सकै।

श्री फतेह चन्द विजः मंत्री महोदया को यह पता है कि पिछले तीन चार सालो से हमारे पडो़सी राज्य पंजाब मे काफी डिसबेसिज चल रही है। कुछा परिवार वहां से उजड़ कर हमारे यहां पर आकर बस गए है। इन परिवारों मे एक परिवार ऐसा है जिस के 4–5 मैम्बर तो वही पर मारे गए है और एक मैम्बर वहां से किसी तरह बच कर हमारे हरियाणा मे आ गया हैं। वह 16 साल का लड़का है और उस के भी हाथ कटे हुए है। मैने चीफ

मिनिस्टर साहब को भी इस के लिए रिकवैस्ट की थी और मंत्री महोदया से भी प्रार्थना की थी उस की कुछ मदद की जायें।

चौधरी भजन लालः वैसे तो कायदे के मुताबि हरियाणा वासी होना चाहिए लेकिन चूकि वे लोग उजड़ कर आये हे और हरियाणा मे आ कर बस गये है, हम उनको हरियाणा वासी मानकर बाकायदा उनकी मदद करेगे। जैसे भले राम जी ने कहा कि अगर हाथ यहा से कट जाए तो पै ान नही मिलती और अगर यहां से कट जाये तो पैं ान मिलती है ओर उन्होने यह कहा कि अगर यहा से भी कट जाए तो पैं ान मिलनी चाहिए। मेरे विचार मे चाहे हाथ यहां से कट जाए या वहा से कट जाए, हाथ तो बेकार हो गया। अगर हैल्थ डिपार्टमैंट उस को 70 प्रति ात हैंडीकैप्ट नही मानता है तो मै यह समझता हू कि यह मुनासिब बात नही हैं। हम ऐसे लोगो के केसिज को भी देखने ओर उन को भी पै ान जरूर देगें। इसके अलावा जो लोग पंजाब से उजड़ कर हमारे यहां आये है, उनकी भी सरकार पूरी सहायता करेगी।

श्री निर्मल सिंह : यह बात ठीक है कि एम.एल.एज. के अटैस्टे ान करना और उस को सरकार द्वारा मानना मु कल है क्योकि हम लोग किसी को भी जवाब नही दे सकते। मै यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका निाकला जाये जिस से गरीब आदमी को ऐप्लीके ान पर जो भी फेसला हो, उसकोवही पर पता लगा जाए। अगर कोई अफर इस बात का फेसला कर सकता है कि उस की दरखास्त ठीक है या नही है, या नही है, तो वह वही

पर कर दें। दूसरी बात यह है कि सरकार भी इस बात ख्का अन्दाज रक ले कि वह इतने लोगेा को यह पैं ान दे सकती है ओर उसके मुताबिक ही लोगो से एप्लीके ान्ज ली जाए। मान लो 900 आदमियों को पैं ान दी जा सकती है तो उतनी ही एप्लीके ान्ज ली जाए। इस से कम से कम आदमियों को परे ाानी तो नही होगी। लोगों का यह पता लग जाना चाहिए कि उन की दरखास्तें ठीक है या नही है। लोगों का यह पता लगा जाना चाहिए कि उन की दरखास्तें ठीक है या नही है और कल वह होता कि तीन महीनें या 6 महीनें के अन्दर अफसर वहां पर जाता है और एप्लीके ान को वैरीफाई करता है और उन को वह यह बताता है कि वे इलीजीबल है या नही हैं। मै यह चाहता हूं कि इस बात का फेसला जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: मैने पहले भी यह बात कही है। जैसे निर्मल सिंह जी ने कहा है हमारे अधिकारी, जिला क्लायाण अधिकारी, खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, तहसीलदार व उप मंडल अधिकार रखें हुए हे तो एप्लीके ानों को रिकामैंड कर के भेजते हैं। एक बात भाई निर्मल सिंह जी ने और कही कि जितना बजट हो उस के हिसाब से ही हमे एप्लीके ान लेनी चाहिये। स्पीकर साहब, हरियाणा निवासियों को जब यह बात पता है कि हरियाणा सरकार इस किस्म की सहायता या सहयोग देती है तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि हम खड़े हो कर यह कह दे कि मानवती हूं कि हमारे पास पैसे की भाोर्टेज रही है

अक्सर मुख्यमंत्री महोदय ने यह इस काम के लिए हमे पैसा दिया है। पिछली बार भी एक करोड़ के करीब इन ि ाडयूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लासिज और समाज क्लायाण विभाग की स्कीमों के लिए दिया गया था। स्पीकर साहब, स्टेट मे जाकर हम ये कैसे कह सकते है कि बजट में प्रासधान नही है। इसलिए आप एप्लीके ान मत दों।

10.00 बजें

बहन भाान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि विधवाओं विकंलागो और बूढों को हरियाणा सरकार की ओर से पैन ान दी जाती है। पैन ान के केसिज बहुत आते है लेकिन जो पहले से मन्जूर हुए केस है। जो नये केसिज होते है उनका फेसला होने मे दो दो साल लग जाते है। लोग अपनी पैन ान की इन्तजार करते रहते है। स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि गरीब लोगो का तो गुजारा ही बड़ी मु कल से चलता है वे इतने लम्बे समय के लिए कैसे इन्तजार कर सकते है। मुझे तो करनाल का पूरा अनुभव है। वे लोग पेन ान के बारे मे पास चक्कर काटते रहते हैं। यह पता करने के लिए कि पैन ान के बारे मे मेरे पास चक्कर काटते रहते है। यह पता करने के लिए कि पैन ान कब मिलेगी। मै जब चण्डीगढ मे आकर सो ाल वेलफेयर डिपार्टमैंट से पता करती हूं तो मुझे से पता करती हूं तो मूझे बताया जाता हे कि स्टाफ कम है जिसकी वजह से मनी आर्डर फार्म्ज नही भरे जाते। मुझे यह भी बताया गया कि पोस्अ आफिस

मे एकदम से इक्ट्ठे मनी आर्डर फामग भी नही लिए जाता। अध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे समय के बाद अगर विकलांग और बूढे आदमियों को पैन ान मिलेगी तो उनका गुजारा कैसे होगा। बहुत से बूढे आदमियों की तो मृत्यू तक हो जाती है और उनकी पैन ान उनके मरने के बाद पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, मैने तो विभाग को यहां तक सेवा की पे ाक ा की थी कि मै कुछ स्वंय सेवक आपके कार्यलय मे भेज देती हूं जो मनी आर्डर फामर्ज भर देगे लेकिन वह बात नीह मानी गई। क्या मंन्त्री महोदया सो ाल वैलफेयार डिपार्टमैंट मे ज्यादा स्टाफ नियूक्त करने की कृपा करेगी और जो लोग नियुक्त किए जाए वे ऐसे होने चाहिए जो चुस्त कर्तव्यनिश्ठ और सेवीाावी हो ताकि बेसहारा लोगो को जल्दी से जल्दी मदद मिल सकें।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं महसूस होता है कि अगर किसी गरीब को तीन महीने मे पैन ान मिलेगी तो गरीब आदमी को वास्तव मे बहुत दिक्कत होगी क्योकि उनका तो रोटी का मसला है और जब पैन ान मिलेगी तो रोटी का इन्जाम होगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी ऐप्लीके ान आजी है उनके बारे मे डिसीजन हैडक्वार्टर(डारैक्ट) स्तर पर होता है। बहनप जी ने जो पोस्ट औफिस वाली बात कही है वह ठीक है। हम पैन ान देने के तरीके को आसान बना रहे हैं। मै इस बारे मे अभी अनांउसंमैंट तो नही करूंगी लेकिन मै सदन को बताना चाहती हूं कि हमारा विचार है कि नजदीक के बैंक को पैसा भज

दिया जाए, लोग वहां से पैसा ले लें जिससे कि उनको सहूंलियत हों।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने हर सवाल के जवाब मे मजबूरी जाहिर की कि सरकार के पास फण्डज अवेलेबल नही होतें . . . .

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः मैने पैसे की मजबूरी जाहिर नही की।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः दस हजार ऐप्लीके ान हो ओरआप सात सौ को पैन् ान दे तो फण्डज की कमी तो हो गई। स्पीकर साहब, हैंडीकैप्ट आदमी ओल्ड एज का आदमी या विडो जब पैन् ान के लिए दरखास्त देती है वह कोई खु ा होकर नही देती मजबूरी मे देती है और जब गवर्नमैंट ने पैं ान के नार्म्ज फिकस किए हुए हैं कि जो आदमी इतने परसैंट हैंडीकैप्ड होगा, कोई विडो होगी या बूढा आदमी होगा उसको सरकार पैन् ान देगी। मै समझता हूं कि पैन् ान देने की सरकार की डिसक्री ान नही रहती। यहां उस आदमी का राईट बन जाता है कि उसको पैन् ान जरूर मिलनी चाहिए। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सी.एम.औ. और दूसरे अफसरान विधवाओ, विक्लागों और बूढे आदमीयों की ऐप्लीके ान्ज मैक्सीमम

दो तीन हफ्ते मे स्ूटिनाईज करके पैं ान ग्राण्ट करने की कोि ा ा करें?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, मैने यह कहा था कि धनाभाव नही हैं मैने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमको पचास लाख रूपया दिया था और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस स्कीम को ठीक से चलाने के लिए हमे मदद करें। अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही बताया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दो तीन अधिकारी होते है और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ही एपिके ान्ज की छंटनी होती हैं ओर वहां से रिकमैंड होकर एप्लीके ान हैडक्वार्टर पर आती है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सरकार विधवाआं को और बूढे आदमियों को पैन ान देती है लेकिन कुछ ऐसी औरते भी होती है जिनको तलाक दिया होता है और कई लोगो की घरवाली मर जाती है। क्यां मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि क्या ऐसी केसिज को पैन ान के लिए सरकार कंसिडर केरगी?

श्री अध्यक्ष: आपके पास कोई इस तरह का खास केसही तो इन्हे बता दें।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, निराश्रित महिलाए जो छोड़ दी जाती है हम उनको पैन ान देते है।

आदमियों को पैन् ान नही देते, आदमियों को आल्ड एज पैंन् ान देते है।

डा. ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, कुछ केसिज ऐसे होते है जिनमे इमिजिएट रिलीफ की जरूरत होती है और कुद केसिज ऐसे भी होते है जिनको अगर छः महीने बाद पैन् ान मिल जाए तक भी गुजारा चल सकता है। मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जिनको फौरी तौर पर रिलीफ की जरूरत ऐसे केसिज को इमिजिएट रिलीफ देने के लिए क्या प्रोविजन है? क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सवर्ड के अनुसार कोई सीनियोरिटी लिस्ट बनाई हुई है या कोई और तरीका है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड के आधार का नियम है लेकिन अगर कोई केस हो तो डारैक्टर लेबल पर भी उसकी सैटल किया जा सकता है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, कुछ ऐसे भी विकलाग है जो गांव मे रहत है और वे फार्म भरने का फिजिकल वैरीफिके ान के लिए भाहर मे नही आ सकते, मतलब मेरा यह कहने को है कि वे चल फिर नही सकते। क्या मंत्री महोदया डाक्टर और तहसीलदार का यह आदे ा देगी कि वे गांव जाकर तसदी कर ले ओर जो उसकी दरखास्त है उसको वैरी फाई करके पैन् ान मन्जूर करवाने मे उसकी मदद करें?

स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि दरखास्तें फर्स्ट कम सवर्ड के तरीके से ट्रीट की जाती है या कोई और तरीका?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, जहां तक इनके सवाल के दूसरे पार्ट का समबन्ध है उसका जवाब मैने पहले ही दे दिया है और यहा तक पहले पार्ट का सम्बन्ध है स्पीकर साहब, मुख्य चिकित्सक और तहसीलदार के लिए ऐसा करना कैसे सम्भव हो सकता है।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, अक्सर यह देखा जाता है कि कि तहसील लैवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फार्म नही मिलते और इन फाम्ज़ के लिए लोगो को बीस बीस चक्कर काटने पड़ते हैं। बूढे लोगो को ओर बेवा औरतों को डाक्टरो के और बी.डी.औ. के चक्कर काटने पड़ते है क्योंकि ये लोग मिलते नही है। मेरे इलाके का सी.एम.औ. फरीदाबाद मै बैठता है और अगर एक बेवा को या बूढे आदमी को दस चक्कर काटने पड़ जाए तो उसके दो सौ रूपए खर्च हो जाते है। क्या मंत्री महोदयसा किसी ऐसे आसान तरीके पर गौर करेगी जिससे कि विधवाओ, बूढे लोगो और अपाहिज लोगो को आसानी से पैन् ान मिल जाए?

श्री अध्यक्ष: वैसे तो आपका फर्ज बनता है कि इस तरह के लोगो की आप सहायता करे कि जिससे कि उनको बी.डी. ओ. के चक्कर ने काटने पड़ें।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, जब किसी अधिकारी के पास फार्म्ज नही होते तब तक कोई भी अधिकारी के पास पैन् ान लेने के लिए नही जाता। जब फार्म मिल जाते है तब तो अधिकारी के पास पैन् ान लेने के लिए कुछ दिन जाना पड़ता है एक दो दिन का कश्ट तो उठाना की पड़ता हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जब कोई विधवा या विकलांग अपनी दरखास्त भेजता है तो उसकी वह दरखास्त यह लिखकर वापिस भेज दी जाती है कि कोलम नम्बर सात ठीक नही भरा। कई बार ऐसा होता है कि ऐप्लीके ान चार चार बार वापिस जाती हैं। क्या मंत्री महोदय अपने विभाग मे कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि एक बार कोई ऐप्लीके ान आ जाए आ जए और उसमे कुछ गलती हो तो डिपार्टमैंअ का आदमी अपने आप जाकर उसको ठीक कर लाए?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, हमारा ध्येय तो यह है कि प्रार्थी को किसी किस्म की दिक्कत न हो। फार्म इसलिए बनाए गए है कि उनको ध्यान पूर्वक भररा जाए और सम्बन्धित अधिकारियों को पावर इसलिए दी गई है कि सारी चीजे एक ही बार मे ठीक तरह से चैक कर लें। जब वे फिल्ड मे जाते है तेा कई बार कुद इफरमै ान भरने से रह जाती है और उस फार्म की जांच करने को कश्अ नही किया जाता। इसलिए उस फार्म को वापिस भेजना पड़ता हैं जो नार्म्ज बने हुए है उनकी

देखभाल करनी पड़ती है और इस बारे मे अगर ज्यादा सचेत रहा जए तो अच्छा रहे।

Village surrounded by river Yamuna in Ballagharh Constituency.

1020 Smt. Sharda Ram: Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that 12 villages, such as, Shekhpur, Bagpur, Solra etc. of Ballabgarh Constituency in Tehsil Palwal are situated on as Island formed by river Yamuna;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to link the said villages with the area outside afford said Island by constructing a bridge and metalled roads; and

(c) if reply to part (b) is in the affirmative the time by which the said proposal is likely to materialize?

Public Works (Shri Amar Singh):

(a) Yes,

(b) A Pontoon Bridge near village Mohna has been provided, Proposal for construction of some of the roads in under consideration.

(c) It is not possible to specify the definite time.

श्रीमती भाारदा रानीः जनाब मै यह जानना चाहती हूं कि मिनिस्टर साहब ने कभी वे इलाके देखे है। अगर देखे है तो

क्या वे इस बात को महसूस करते है कि उस इलाके की कितनी दुखद स्थिती है? वह इलाका बिल्कूल एक प्रकार से टापू है जो सब ओर से दुनिया से कटा पड़ा है। इन्होने कहा है कि मोहना ग्राम के नजदीक एक पन्टून ब्रिज बना दिया गया है क्या वह ब्रिज आजकल काम कर रहा है? बरसात के दिनो मे, जब लोगो को सबसे ज्यादा राहत और सहायता की आव यकता होती हे उन दिनो क्या वह बिज काम करता हैं?

श्री अध्यक्षः बहन जी आपको कही सर्टिफिकेट तो नही चाहिए कि ये चण्डीगढ मे ही नजरबन्द रहते है? (हंसी)

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने वे 12 गांव देखे है उनमे से 6 गांवो की आबाद अढाई सौ से कम है और भोश 6 गांवो की आबादी अढाई सौ से ज्यादाहै। हमने वहां पर तीन रोडज के बारे मे (मोहना घाअ से बेगपूर कलां, बेगपुरा कलां से बेगपूर कलां से सोलड़ा तक) ऐस्टीमेंट बनवाया हैं। मोहना घाट से बेगपुर कलां तक की सड़क की लम्बाई 4.5 किलोमीटर के लगभग है और उस पर 5 लाख 72 हजार रूपयें का खर्चा आएगा और इस सड़क पर तीन महीनों के अन्दन अन्दर काम भुरू करवा देगें। जहा तक पन्टूर ब्रिज की बात है वह ब्रिज 22 लाख रूपये की रा ि ा से बनवकर तैयार हुआ हैं। उस इलाके की तकलीफ को, मुसीबत को महसूस करते हुए सरकार ने यह फिल किया था कि पन्टून ब्रिज का निर्माण का महसूस करते हुए सरकारक ने यह फील किया था कि पन्टून ब्रिज का निर्माण किया जाए। वह ब्रिज

8 महीने ट्रेफिक के लिए खुला रहता है और चार महीने के लिए फैरीज का इन्तजाम है जिससे लोगो को किसी भी प्रकारव की तकलीफ न होने पायें।

श्रीमती भारदा रानीः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब की यह इंफर्मे ान ठीक नही है कि 6 गांवो की आबादी अढाई सौ से कम है। दूसरी बात यह है कि क्या इनका उस रकबे का पता है जहां पर सरसों और दूसरी खेती होती है कि वह कितना रकबा हैं? स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय सैंसा गाव गये थे ओर वहां पर पक्के पुल का वायदा करके आये थें, क्या वे अपने वायदे को आनर करेगेंद्य

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, यह जो पन्टून ब्रिज है, यह मुख्यमंत्री महोदय और बहन भारदा रानी जी के आग्रह पर ही बनाया गया था ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसे इलावा जैहर ब्रिज का ऐस्टीमैअ हम तैयार करवा रहे है और उस पर 6 करोड़ रूपये की लागत आयेगी जिसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट से मन्जूरी लेनी पड़ती है। इसलिए वह ऐस्टीमैंट तैयार करवा रहे है ताकि वहां पर काम करवाया जा सके और उस इलाके के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सकें।

श्री ए.सी. चौधरीः स्पीकर साहब, मै सरकार की लिमिटे ान का अन्दाजा लगा सकता हूं लेकिन 12 गांव जिनका

बहन भाारदा जी ने जिक्र किया, मुझे इन गावों मे जाने का ज्यादा मौका तो नही मिला लेकिन इलेक ान के दौरान जरूर गये हैं। इन गावों की हालत इतनी खराब है कि जरा सा भी पानी का कटाव अगर आ जाए तो वे गांव बिल्कूल उजड़ जाते है लोगों को कई कई दिनों तक दरखतों का आसरा लेना पड़ता है। इसलिए अगर यहां पक्के पुल की स्कीम सरकार के विचाराधीन है तो ठीक हैं। इसके अलावा मै यह कहना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों मे कई बार पेसो कमी के कारण राहत नही मिल पाती, तो क्या सरकार इसके लिए कि ातियों का पुल या कोई और दूसरा इन्तजाम, जिसकी कास्ट भी कम हो, लेागौ के बचाव के लिये करने का प्रबन्ध करेगी?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब 12 सौ आदमियों के लिए 6 करोड़ का पुल सरकार बना रही है क्या यह छोटी सी बात है?

श्री ए.सी. चौधरीः मैने यह अर्ज किया था कि 12 करोड़ रूपए की लागत वाली स्कीम पर सरकार का चिन्ता करना वाजिब और सहारनीय है लेकिन इस पर टाईम इतना लगेगा कि भाायद काफी समय तक लोगों को तकलीफ रहें। उन लोगों का इम्मीजीऐटली, टैम्पोरेरी तौर पर कोई न कोई ऐसा इन्तजाक कर दिया जाए जिससे लोगो को राहत मिल सके।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, इन गांवो को बचाने के लिए सारे गांव के लिए अन्दर रिंग बांध बने हुए हैं और किसी

गांव के अन्दर पानी नही जाता है बाहर बाहर ही पानी रहता हैं। यह बात ठीक है कि फल्ड के दिनों मे गांव बांध के अन्दर घिर जाते है लेकिन कभी भी तीन दिनों से ज्यादा पानी वहां खड़ा नही होता, दो–तीन दिनों के अन्दर अन्दर निकल जाता है। उन इलाकों मे दिक्कत जरूर है लेकिन यह सारीक बाते सरकार के ध्यान में है। बाकायदा उनकी तकलीफ को मीटआउट करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि लोगों को इस तरह की तकलीफ से बचाया जा सकें।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभकी अपने जवाब मे फरमाया कि फलां फलां गांव की आबादी अढाई सौ से कम है यह क्राईटेरिया उन्होने यहां पर बताया है। मै सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार की पालिसी फेमिली प्लांनिग की है और हरियाणा सरकार की भीयही पालिसी है। अगर सरकार ने अपने इस क्राईटेरिया पर सख्ती से अमल किया तो इससे आबादी बढने लग जाएगी क्योकि सड़के तो लोगेा को चाहिए, वे अपनी आबादी को दो सालों मे दुगनी कर देगें। इसलिए सरकार ऐसे प्रोग्राम न बनाए और 250 से ऊपर या कम वाली आबादी की भार्त पर अमल न करें, उसे रिजैक्ट कर दे कि भाई आबादी मत बढाओं। सरकार अपनी इस कंडी ान को रिलैक्स कर दे कि आबादी रूकनी चाहिए क्योंकि हमारे दे ा की आबादी बहुत बढ चुकी है। ऐसे सेचुरेटिड प्वायंट पर हम आ गए है अगर हम रिलैक्सस नही कर सकते तो यह सरकार की पालिसी

तो आबादी बढाने वाली हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे इस क्राईटेरिया को रिलैक्स करे और जहां सवा दो सौ की आबादी हैं वहां भी सड़क बना दे और जहां 200 की आबादी है वहां पर भी लोगो की दिक्कतों को देखते हुए सड़कों का निर्माण कर दे। तो मै इस बारे मे मुख्यमंत्री महोदय से यह कहूंगा क्योंकि मिनिस्टरर साहब तो पता नही क्या जवाब दे दें कि सरकार इस अढाई सौ की आबादी वाली बात पर रिजिड न हों, सरकार की इस बारे मे पालिसी काफी नर्म होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः आपकी जो चिन्ता है उसके साथ हमे पूरी हमदर्दी है और मिनिस्टर साहब इस पर पूरा गौर करेगें।

श्री अमर सिंहः आनरेबल मैम्बर अगर इस बात को कालका से भाुरू करवाए तो बढिया बात होगी ताकि आबादी के डिफरैन्स को कोई महसूस न करें वैसे स्पीकर साहब, इनकी बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

श्रीमती भाारदा रानीः स्पीकर साहब, अढाई सौ किसी एक आध गांव की आबादी होगी। वैसे सरकार का यही रवैया रहा तो भाायद यह आबादी भी नही रहेगी जिसको जहां कही बाहर रोजगार मिलेगा वह बाहर ही रहने लगेगा और वह जगह खाली हो जाएगी। इसके बाद इन्होने यहां हाउस मे आ वासन दिया है कि हम इस काम के लिए ऐस्टीमैटस बना रहे है। इसके लिए मै इनको धन्यावाद देती हूं लेकिन साथ ही इन्होने कहा कि टाईम

लिमिट निधार्रित करना सम्भव नही है। अगर ये सड़के बना ही रहे हे तो इन्हे टाई स्पैसीफाई करने मे क्या एतराज है? स्पीकर साहब, आप जानते है कि जिस काम के लिए टाईम स्पेसीफाई किया होता है वह काम भी टाई पर नही होता और इस केस मे इन्होनें लिचाा है कि समय अवधि निर्धारित करना सम्भव नही है, तो आप ही बताएं कि यह काम कब खत्म होगा?

श्री अध्यक्षः अगर काम स्पैसीफाईड पीरियड के अन्दर न हो तो प्रोबलम्ज आ जाती है। इसलिए ये टाईम स्पेसीफाई नही करते।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहन भाारदा रानी जी जब मिनिस्टर थी तो इनके पास यह विभाग था उस वक्त तो इन्होने यह एस्अीमैंटस तक भी नही बनाए थे अब बन गए है और हम बाकायादा कोि ा ा कर रहे है कि मोनाघाट से बागमुर कलां तक जोकि 4.5 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा है, जिस पर लगभग 5 लाख 75 हजार 400 रूपए की लागत आएगी का तीन महीने के अन्दर अन्दर भाुरू करवा दें।

NP, NZ and WZ Truck Permits

***1040 Seth Ram Dass Dhamija & Sh. Fateh Chand**

ViZ: Will the Minister for Trnsport be pleased to state—

(a) The total number of NP, NZ and WZ Truck permits reserved for Secheduled Castes and Backward Classes

lying unallottted as on 31-08-1985 together with the reasons thereof: and

(b) whether there is nay proposasl under consideration of teh Government to declare the permits as referred to in part (a) above as general and to allot them to the needy persons belonging to the general category?

Transpert Minister (Col Rao Ram Singh):

(a) 127. due to non availability of eligible operators.

(b) Not at present.

श्री फतेह सिंहः मंत्री महोदय, न अभी बताया कि डेढ दो साल से इन परमिटो को लैने के लिए कोई नही आया यानी इस कैटेगरी की कोई एप्लीके ान नही आई। सरकार क्येा नही ये परमिटस दूसरी कैटेगरी के लोगो को दे देती उससे सरकार की आमदन भी बढेगी?

कर्नल राव राम सिहः स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार की एक सो ाल डिवैल्पमैंट की पालिसी है कि गरीब लोगो को ऊपर उठाया जाए। इस विशय मे जब यह देखा गया कि हरिजन और गरीब लोग ट्रक खरीदने का साधन नही रखते है तो हरिजन कलयाणा निगम को एप्रोच किया गया कि वह हरिजनों को इसके लिए कुछ पैसा मुहैया करे ताकि वे ट्रक खरीदकार नै ानल परमिट ले सकें। इसमे एक डेढ साल लग गया। पिछले साल से हरिजन कल्याण निगम ने यह फेसला किया कि जो भी हरिजन

मार्जिन मनी लेना चाहे उसको दी जाएगी बाकी पैसा उसे कमर्ि ायल बैंक से लोन की भाक्ल मे लेना होगा। इस प्रकार हरिजन ट्रक खरीद कर एक मौका और दिया जाए क्योकि अभी तक जो रिजर्व कटैगरी के लोग है उनमे भाायद इस बात का पूरा प्रचार नही हुआ हैं इसी वजह से एप्लीके ान्ज कुछ कम आई थी। तो एक बार फिर यह विचार दिया जाए और वे एप्लाई कर सकें। अगर अग भी एप्लीके ान न आई ता इस बात पर विचार किया जा सकता है कि इसके लिए जनरल कटैगरी की एपलीके ांज इनवाईट की जाए। उसमे भी अगर किसी हरिजन की एप्लीकें ांज आती है तो फ्रैफरैंस उसी को दिया जाएगा।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, हरिजनों को ने ानल परमिट देने की सरकार की अच्छी पालिसी है लेकिन इसमे एक बात कि दिक्कत आती है कि हरिजनों को क्लयाण निगम तो पैसा मंजूर कर देती है लेकिन बैंक लोन देने के लिए कोआप्रेट नही करते। बैंक जमीन की रजिस्ट्री मांगते है। मेरा सुझाव है बैंक उसका ट्रक प्लैज कर ले और रजिस्ट्री न मांगें। या तो सरकार उसकी गारन्अर बने या उसका ट्रक प्लैज कर लिया जाए।

कर्नल राव राम सिहः भले राम जी का सुझाव बहुत अच्छा है इस पर जरूर गौर करेगें। लेकिन जहां तक ट्रक खरीदने की बात है उसे लिए 25 परसैन्ट पैसा तो निगम देगी ओर 75 परसैन्ट लोन बैंक से लेना पड़ता है इसमे अगर हम कुछ हैलप कर सकते है तो जरूर कोर्ि ा ा करेगें। लेकिन मोटर व्हीकल्ज एक्ट

जो सैट्रंल गवर्नमैंट का है उसके तहत केवल इस वायदे पर परमिट नही मिल सकता कि हम ट्रक खरीद लेगें बल्कि पहले ट्रक खरीद कर फिर परमिट के लिए एप्लाई करना पड़ता है। जहां तक बैंको से लोन लेन की दिक्कत है यह सिर्फ ट्रक के लिए ही नही है बल्कि बाकी कामों के लिए भी डिफिकल्टी हें जो हम कोि ा ा कर सकते है वह जरूर करेगें। अगर हाउस की यह भावना है कि इसको जनरल कटैगरी मे कर दिया जाए तो उस पर भी सरकार विचार कर सकती है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै इस प्वायंट को जरा क्लीयर करना चाहता हूं। भले राम ही ने कहाप कि बैक वाले जमीन की रजिस्ट्र मांगते है ऐसी बात नही है। ट्रक खरीदनके के लिए 25 परसैन्ट तो हरिजन कल्याणा निगम देती है और 75 परसैन्ट बैक लोन देता हैं। बैंक वाल ट्रक का प्लैज कर लेते है उसके लिए जमीन की रजिस्ट्री देने की जरूरत नही है। (विघ्न) काम मन मुनसर करता है। एक ट्रक वाले भी कामयाब है। फिर भी हम बैंकों से कहेगे कि लोन देने मे डिले न हों। हरिजनों की रिजर्वे ान के लिए कुछ नार्मज बने हुए है चाहे वे सर्विस के मामल में है या ने ानल परमिट देने के मामल मे हैं। इनको दो बार मौका देना पडत्रता हें अगर तीसरी बार भी कोई हरिजन न आए तो जनरल कटैगरी को देने का फेसला कर सकते है। जनरल केटैगरी मे अगर कोई हरिजन आ जाता है तो भी हम उसको पहले परमिट देते है।

चौधरी सूबे सिंह पुनियांः क्या मंत्री जी बताऐगें कि हरिजनों के अलावा जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग है या आर्थिक दृश्टि से कमजोर लोग है उनके लिए भी कोई रिजर्वे ान का प्रावाधान हैं?

कर्नल राव राम सिहः 20 परसैन्ट रिजर्वे ान तो ि ाडयूल्ड कास्ट के लिए है 10 परसैन्ट बैकवर्ड क्लासिज केक लिए है और सरकार ने विचार करके 15.11.1984 से 10 परसैन्ट रिजर्वे ान एक्स सर्विसमैंन के लिए लागू की है।

श्री निहाल सिहः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम बैकों को कहेगे या लोन दिलवाने के लिए अरेंजमैंट करेगें। देखने मे यह आया है कि हरिजन चाहे पम्पों के लिए लोन लें, ट्रक के लिए लोन ले या स्कूटर के लिए लाने ले किसी भी बैंक से लोन पास नही होता। क्या स्टेट गवर्नमैंट कोई लायजन कमेटी बनाएगी जिसमे वहां के लोकल आदमी हो और हरियाणा सरकार के अफसर हो जो बैठ कर बैंको के साथ केस को सिरे चढा सकें।

चौधरी भजन लालः बैंकर्ज के साथ हर तीसरे महीने हमारे आफिसर्ज की मीटिंग होती हैं उसमे लोन के केसिज बाकायदा रिव्यू जाते हैं। जहां कही कठिनाई होती है उसको दूर करते हैं अब तक 45 हरिजनों भाइयों को ट्रक खरीदने के लिए बैंको से लोन मिल चुका है।

कर्नल राव राम सिहः स्पीकर साहब, इस बारे मे मै थोड़ा और कहना चाहता हूं। राव साहब ने कहा कि कोई कमेटी बनाई जाए। हमारें हर जिलें मे डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैंसजि कमेटी है। जहीा पर बैंक वाले किसी ऐसे केस मे कोआप्रेट न करते हो तो उस कमेटी के सामने यह प्वायंट रखा जाए ए.डी.सी. कमि र्यिल बैंकस की आर्गेनाइजैं ानज के साथ मिटिंग करेके ऐसा प्वायंट रेज कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रे ान बैंक पर दबाव डाल सकता है अगर कोई गलत काम दिया है।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, जितने केस हरिजनों मे मंजूर होते है उन सब को बैंक से कर्जा नही मिलता। कई जगह जमीन की रजिस्ट्री मांगते हैं। हरिजन कल्याण निगम से हरिजनों के ऐसे 115 केस मंजूर हो चुके है लेकिन उनमे से सिर्फ 50 को बैंक से कर्जा मिला। इस दिक्कत को ध्यान मे रखते हुए क्या सरकार लैंड डिवैल्पमेंट बैंक की मार्फत इन गरीबों का कर्जा दिलाने की कृपा करेगी।

कर्नल राव राम सिहः स्पीकर साहब, इन्होने कहा कि हरिजनों को लोन नही मिला, यह बात तो इनकी दुरूस्त नही है। पिछले तीन सालों के अन्दर ि ाडयूल्ड कास्टस को ने ानल परमिट क कोटा 220 का था जिसमे 111 परमिट हरिजनों को मिल चुके हैं। मै यह नही बता सकता कि 111 मे से कितनों ने लोन लिया है और कितनों ने अपने खुद के पैसे से ट्रक खरीदे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि खुद के पैसे से ट्रक लेने वाले 5 परसैन्ट

से ज्यादा नही हो सकते है। मेरा ख्याल है कि 111 मे से कम से कम 100 को लोन मिला है। इसलियें यह कहना कि बैंक लोन नही दे रहे है। यह ठीक नही है। 220 मे से जो 109 हरिजन बाकी रहते है उनमे से अगर कोई बैंक से लोन लेने के लिए एप्लाई करेगा तो हम उनको लोन दिलवाने की कोि ा ा करेंगे। जहां तक इन्होने लैंड डिवैलपमैंट बैंक से लोन दिलवाने का जिक्र किया लेकिन मै एक बात बता दूं कि लैंड मार्गेज बैंक के बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। जब तक कोई आदमी अपनी लैंड प्लेज नही करेगा तक तक यह बैंक लोन नही दे सकता। जो हरिजन ट्रक खरीदने वाला हैं उसके लिए लैंड प्लेज करना बहुत मुि कल होगा।

श्री अध्यक्षः क्वे चन हावर इन ओवर

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर

Residentail Housees for Commercial Purposes

***1003. Dr. Bhim Singh Dhahiya:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Haryana Urban Develpment Authority has permitted the renting out of residential houses in the colonies under the control of the said authority for commercial use; if so, the terms and conditions laid down for teh purpose; and

(b) the number of residential houses in sector 14 at Sonepate which are being used for commercial purposes together with the nuture of teh commercial use ineach case?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नही, श्रीमान जी।

(ख) एक विवरणी जिसमे अपेक्षित सूचना दी हुई है सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

क्र. स.	प्लाट न. / मकान न.	सीापित संस्था का नाम
1	181	रैड–रोबिन रैस्टोरैंन्ट
2	194	पंजाब नै ानल बैंक
3	200	हरियाणा लिकयूर लिंकस
4	428	श्री आगस्थया ज्योतिश कार्यालय
5	444	श्रृंगार ब्यूटी पारलर इन्स्टीच्यूट।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री लछमन सिहः स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं। इसमे मै आपकी भी मदद चाहूंगा। यदि आप मेरी मदद करेगें तो उसके लिए मै आपका बड़ा भुक्रगुजार हूंगा। मै आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि कालका सब–डिविजन को न तोड़ा जाए। हरियाणा सरकार ने कालका सब डिविजन को बदनले का डी.एस.पी. हैडक्वार्टर बदलने का और तहसील बदलने का रौसेंटली फेसला किया हैं और डी. एस.पी. हैडक्वार्टर तो वहां से बदल भी दिया गया हैं। यदि दूसरे दोनो हैडक्वार्टर बदल दिए गए तो वहां के लोगो को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पडेगा। वहां की कम से कम डेढ लाख की आबादी को बहुत मु कलों का सामना करना पड़ेगा। अकेले कालका की 30 हजार की आबादी और साथ मे देहात लगते है। उन लोगो को पंचकूला आने के बहुत दिक्कत होगी। कालका के साथ लगते हुए देहात के लोगो को पंचकूला आने मे बहुत लम्बा सफर तय करना पड़ेगा। उनको कम से कम 20–25 और 30 मील का एरिया पार करके पंचकूला आना पड़ेगा। स्पीकर साहब, मै आपसे भी दरखास्त करूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी सिफारि ा करे कि कालका सब डिविजन को वहां से न बदला जाए। मै चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी सिफारि ा करूंगा कि सरकार ने कालका सब डिविजन को बदलने का जो फेसला लिया है। उस फेसले को सरकार बदल। वह फेसला लागो के हित मे नही है। अभी बाउंडरी कमि ान बैठने जा रहा है। इस वक्त ऐसा फेसला करना हरियाणा के हित मे बिल्कूल नही होगा। इसके

अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी मैथ्यू कमि ान की भी रिपोर्ट आनी है। स्पीकर साहब, मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि मै हाउस मे इंडिपैंडैंट मैम्बर हूं। मेरे इंडिविजुअल बात है। मेरे इंडिपैंडैंट ब्यूज है। मै विदआउट प्रिजुडिस कहूंगा। स्पीकर साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि इन्होने 410 गाव क्लेम किए है। मै चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये 410 गांव वही है जिनमे हिन्दू आबादी है। जिसको आप हिन्दी स्पीकिंग ऐरिया कहते है क्योकि मुझे यह पता है कि पटियाला के साथ भी सिखों के गांव लगते है जिनकी लेगवेज न तो पंजाबी है ओर न ही हिन्दी है। उनकी लैंगवेज किसी और ही ऐरिया से मिलती है। पता नही उसकी लैगवेज बागडी है या कौन सी लेंगवेज है ऐसे गांव किस तरफ जायेगें? स्पीकर साहब, कागे्रस आई पार्टी ने खास करके हमार दे ा के प्रधान मंत्री ने दे ा के अन्दर सैकुलरिजम, नै ानल इन्टैगरिटी, यूनिट और कम्यूनल हारमोनी का नारा दिया है। इस नारे का दे ा के लेागेा पर काफी असर हुआ है। खास करके पंजबा के लोगो पर काफी असर हआ हैं। मै चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करना चाहूंगा कि बजाए इसके कि कम्यूनल लाईन पर सोचा जाए बल्कि सैकुलरिजम लाईन पर सोचना चाहिए और दे ा के हीत मे सोचना चाहिए। ऐसी बात नही सोचना चाहिए और दे ा के हित मे सोचना चाहिए। ऐसी बात नही बात नही सोचनी चाहिए जिससे लोगो मे हीट जनरेट हो। यदिन कम्यूनल लाइन पर सोचेंगे तो उससे भी लोगो मे हीट जनरेट होगी। दोनो कम्यनिटीज के अन्दर ऐसा

जजबात भडकेगे कि पंजाब के हिन्दू हरियाणा मे रहना चाहेग और हरियाणा मे जो सिख पंजाब मे जाना चाहेगें। स्पीकर साहब, मै इस हम मे हूं कि हरियाणा मे जो सिख आबादी है, उनको हरियाणा मे ही रखना चाहिए और पंजाब के हिन्दुओं को पंजबा मे ही रहना चाहिए। यदि कम्यूनल लाईन पर सोचा गया तो कही ऐसा न हो कि हरियाणा मे जो सिख आबादी है वे पंजाब में आ जाए और जो पंजबा मे हिन्दू है जिनको आप हिन्दी स्पीकिंग कहते है वे हरियाणा मे आ जाए।

श्री अध्यक्षः आप यह क्यो सोचते है कि हरियाणा मे जो सिखो के गांव है वे पंजाब मे चले जाएगें और पंजाब के हिन्दुआ के गांव हरियाणा मे आ जाएगें।

श्री लछमन सिहः मै ऐसी बात नही सोचता और न ही मै यह बात कहता हूं लेकिन पंजाब वाले डिमांड करेगें। ऐसी बातें रोजना अखबारों मे आती हैं।

श्री अध्यक्षः वह तो यह कह देगे कि आधा हरियाणा दे देा क्या उनको आधा हरियाणा मिल जाएगा?

श्री लछमन सिहः स्पीकर साहब, आधा हरियाणा देने की कोई बात नही है। वह बात अलग है। मै चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वह ऐसी परपोजल भी बनाए जिससे हम पंजबा के अन्दर गांवो का भी क्लेम कर सकें क्योकि वहां पर सारे लोग पंजाबी नही बोलते और न ही सारे लोग हिन्दी बोलते है।

इसिलए मेरा सुझाव है कि आप पंजाब के अन्दर भी सिखों के गांवो का क्लेम करें। मैने तो यह सुझाव दिया है कि जो काम करना है वहा तो सरकार ने करना है। इनहोने एक कमेटी बना रखी है उस कमेंटी को इलाके के बारे मे कितनी वाकफियत है ओर उस कमेटी के मैंम्बर्ज की कितनी कैपेबिलिटी है उस बारे मे इनको पता होगा। स्पीकर साहब, मैने कालका के बारे मे चीफ मिनिस्टर साहब को दरखास्त कर दी है और आप ही इनको सिफारि ा कर दें।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा मे आज सुबह रूल 84 के तहत एक मों ान दी हैं। जो अभी 24 जुलाई 1985 को एक एकौर्ड हुआ हे उसमे हरियाणा के हितों को अनदेख्ाा किया गया है। उस मो ान के जरिए मैने आपसे दरखास्त की हैं कि एक एकोर्ड के बारे मे यहा सदन मे चर्चा की जाए।

Mr. Speaker: That I have desallowed.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, वह इतना अहम मसला था। हरियाणा का सदन बैठा हुआ है, हरियाणा के हितों के साथ ऐसा हो जाए और वउसकी सदन मे चर्चा भी न हो। स्पीकर साहब, आज जैसे सूफी आदमीव के होते हंए हम इतनी अहम बात को सदन मे डिस्कस न कर सकें, ऐसा नही होना चाहिए।

Mr. Speaker: I am bouond by certain rules. Please take you seat.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह सदन किस बात के लिए है?

श्री अध्यक्ष: यह सदन इस बात के लिए नही है कि आप जोचाहे वह हो। जिस बात को रूल्ज अलाऊ करते है वही बात होगी।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, एकोर्ड के अन्दर हरियाणा के साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे मे हमें बताया जाए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, ये वाक आउट करना चाहते है। अगर ये एकोर्ड के बारे मे जानना चाहते है तो आराम से बैठ कर सुवन लें मै बता देता हूं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, उस बारे मे यहां सदन मे चर्चा होनी चाहिए। हम चार सदस्यों ने वह मो ान दी है और चर्चा करने के लिए रिक्वैस्ट की हैं।

श्री अध्यक्ष: जो बात अंडर दि रूल्ज होगी वह जरूर एडमिट होगी और जो बात अंडर दि रूल्ज नही होगी, वह मै एडमिट नही कर सकता। मैने आपको रीजंज लिख करके भेजे है। फिर भी अगर आपके मन मे कोई भाक हो तो आप मेरे से चैम्बरर मे मिल लेना।

वाक आउट

श्री राम बिलास भार्मा: यदि आप हमारी मो ान को एडमिटव नही करते तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते है।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन मे वाक आउट कर गए।)

वयतव्य

मुख्यमंत्री द्वारा कालका का उप–मण्डल के रूप मे रखने तथा मैथ्यू आयोग के समक्ष क्षेत्रीय दावे करने संबंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होने पहले ही वाक आउट करने का फेसला कर रखा था ताकि इनका नाम अखबारों मे आ जाए। इस बात के लिए तो ये भोर है। अभी पांच मिनट मे ये फिर वापिस आ जाएगें। ये एकोर्ड के बारे मे आराम से बैठ कर नही सुन सकतें। अध्यक्ष महोदय, सरदार लछमन सिंह जी ने कालका के बारे मे एक खदमा जाहिर किया और यह कहा कि कालका सब डिविजन को तोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरदार लछमन सिह जी 24 घंटे मे दो वाणी बोल गए, कल इन्होने इसी टाईम पर यह कहा था कि पंचकूला को हरियाणा की राजधानी बनाया जाए। यदि सरकार पंचकूला को सब डिविजन बनाना चाहती है तो कहते है कि उसको सब डिविजन क्यों बनाते है। अध्यक्ष महोदय, मै इनको बताना चाहूंगा कि जहां तक कालका तहसील का ताल्लूक है उसको तोड़ने का सवाल ही पैदा नही होता। जहां तक सब डिविजन ताल्लूक है उस बारे मे वहां के

लोगों ने महसूस किया। बहुत से लोग हम से मिले और पंचायतों ने भी प्रस्ताव हमारे पास भेजे है कि बहुत सा एरिया जो कालका के दूसरी साईड मे पड़ता है उस एरिया के लोगोंु को तीन जगह बसें बदल कर कालका जाना पड़ता हैं। मै आपको उस एरिया के लोगों की बात कह रहा हूं। जो ऐरिया कालका की दूसरी साईड मे पड़ता है। डी.एस.पी. का हैडक्वार्टर फिलहाल कालका मे ही है एस.डी.एम. और डी.एस.पी. का हैडक्वार्टर पंचकूला मे हो जाए और तहसीलदार, बी.डी.औ. तथा नायब तहसीलदार का हैडक्वार्टर कालका मे ही रहे। इस तहर करने से दोनेा तरफ के लोगों को कोई दिक्क्त नही होगी, आसानी हो जाएगी। हम ऐसा विचार कर रहे है। अभी कोई फाईनल फेसला नही किया है।

श्री लछमन सिहः स्पीकर साहब, मै चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्ाास्त करूंगा कि कालका को सब डिविजन रखा जाए।

चौधरी भजन लालः आपने जो बात कही हैं उस पर विचार किया जाएगा।

श्री लछमन सिहः आपका बहुत बहुत भाुक्रिया।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सरदार लछमन सिंह न एकोर्ड के बारे मे बात कही है और साथ मे इन्होने सैकुलरिज्म की बात भी कही है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सरदार लछमन सिंह जी को बताना चाहुंगा कि जो उपदे ा इन्होनें दिया

है वह बहुत पहले देना चाहिए था। जब पंजाबी सूबा अलग बना उस समय यह उपदे ा देना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते है कि किस तरह से अकालियो ने पंजाबी सूबे की बात की थी और एजीटे ानव किया था मै उस इतिहास मे नही जाना चाहता । मेरे विचार आप सभी अच्छी तरह से जानते है। मैने पहले भी कहा है ओर अब भी कहता हूं कि तीनों पड़ोसी राज्य इक्ट्ठे होने चाहिए। मैने यह बात हाउस मे भी कही थी और बाहर भी कही हैं।

श्री लछमन सिहः मैने इस बात के लिए आपको स्पोर्ट भी किया था।

चौधरी भजन लालः ठीक है आपने स्पोर्ट किया था इस बात के लिए मै आपका धन्यावाद करता हूं लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिला अम्बाला के आसपास के कुछ गांव हरियाणा मे भाामिल करने की मांग करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो कमी ान बैठा हुआ है, इसका दायरा लिमिटिड है। यह कमी ान चण्डीगढ के बदले मे जो हिन्दी भाशी इलाके हरियाणा को दिये गये थे फाजिल्का और अबोहर के इलाके चण्डीगढ़ के बदले मे हरियाणा को दिये गये थे उन पर यह कमी ान विचार करेगा। यह हरियाणा के हित मे एक अच्छी बात होगी। अम्बाला जिला इस मे कवन नही होता। पहले इस मकसद के लिए तहसील एक यूनिट थी लेकिन अब एक गांव एक यूनिट हो गया। इस सिस्टम के तहत अगर 5 गांव हिन्दी भाशी क्षेत्र है लेकिन बीच

मे 3 गांव पंजाबी भाशी हैं तो कंटीग्यूटी रखने के लिए ये सारे गांव हरियाणा को मिलेंगें। विलेज को यूनिट मानने से भी हरियाणा को लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने हमारे वालों ने खरी लम्बी जहल का इलाका जो फाजिल्का तहसील मे था, इसको फाजिल्का तहसील से निकाल कर मुक्तसर तहसील मे डाल दिया। बाद मे इस मुक्तसर तहसील को निकाल कर फरीदकोट जिले मे भाामिल कर लिया। ये तकरीबन 95 गांव है जो फाजिल्का तहसील के इलाके थे, पंजाब ने इनको फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट मे भाामिल कर लिया था। ये हरियाणा मे आने चाहिए और हमने इन इलाकों का क्लेम किया है। हमने कुल मिलाकर 410 गांवो पर क्लेम किया है और कमी ान को लिखकर दिया हैं।

श्री लछमन सिहः मैने यह पूछा था कि क्या उन इलाकों को क्लेम किया है जिन मे सिक्खो की आबादी हैं?

चौधरी भजन लालः 410 गांवो मे 50–60 गांव जरूर ऐसे होगे जिन मे सिक्खों की आबादी होगी। अध्यक्ष महोदय, इस कमी ान के सामने हमने क्लेम किया है लेकिन इसका दायरा लिमिटिड है। इस कमी न ने तो यह फैसला करना है करना है कि चण्डीगढ के बदल मे फलां फलां इलाके हरियाणा को देने है। इस वक्त पंजाब के भाई इस कमी ान के सामने हरियाणा के किसी गांव पर कलेम नही कर सकतें। जो दूसरा कमी ान बनेगा उसके सामने क्लेम कर सकते है कि फलां इलाका पंजाब मे भाामिल होना चाहिए और हरियाणा क्लेम कर सकता है कि फलां

फला इलाके हरियाणा मे भाामिल होने चाहिए। हम अपना क्लेम करेगें, चाहे वे इलाके सिरसा के, हिसार के, जींद के, कुरूक्षेत्र के और चाहे अम्बाला जिले के साथ लगते है, उन सभी इलाकों पर हम क्लेम करेगे जो हिन्दी भाशी है।

श्री लछमन सिहः क्लेम करने का पैमाना क्या होगा?

चौधरी भजन लालः पैमाने का पैमाने वालों से पता चलेगा। लोगेा से पूछेगें और लोग बतायेगें। अध्यक्ष महोदय, मै सदन के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि हम कम से कम 1000 से ज्यादा गांवो को हरियाणा मे भाामिल करने के लिए क्लेम करेगें। यह क्लेम हम दूसरे कमी न के सामने करेगे क्योकि इस बात का फेसला दूसरे कमी ान ने ही करना हैं। हम अपना केसस पूरी तरह से तैयार कर रहे है। इसके लिए बाकायदा चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला की अध्यक्षता मे एक कमेटी बना दी हैं। इस कमेटी मे हमारे बड़े आफिसर साहेबान भी भाामिल है। यह कमेटी पहले से ही इस बात को देख रही हे ताकि हम अपना केस पहले से ही तैयार रखें और जब कमी ान बैठे तो उसके सामने अपना केस पुरी तैयारी के साथ रख सकें। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली एकोर्ड जो हुआ है, यह ने ान के हित मे है। बी.जे.पी के कुछ भाई बार बार सदन से वाक आउट करते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होने डबल स्टैंडर्ड अपना रखा हैं। कम से कम एक पार्टी की जो विचाराधारा है सारे मुल्क मे वह उसकी एक ही होनी चाहिए। ये नै ानल लैवल पर कुद कहते है और

स्टेट लैवल पर कुछ कहते है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे दे ा मे, कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल की चोटी तक एक ही विचारधारा रखती है। लेकिन बी.जे.पी. के लीडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ानल लैवल पर कहते है कि यह अच्छा फैसला है और दे ा के हित मे है। पंजाब के बी.जे.पी. के भाई कहते है कि अच्छा फेसला हो गया है हम इस फेसले को लागू करवायेगें। उन्होने अपने इलैक ान मिनिफैस्टो मे भी इस फेसले का स्वागत किया है लेकिन हरियाणा बी.जे.पी. के भाई पता नही किस तरह की बात करते है। दे ा के हित मे जो अच्छी बात है वह होनी चाहिए। बाहर के लोगों ने भी इस फेसले को स्वीकार किया हैं। जो सही बात है उसको सही मानना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। ये चौधरी देवी लाल के जाल मे फंस गयें। पहले ये पांच मैम्बर थें लेकिन अब रूपये मे से अठन्नी रह गई । मै अन्त मे यही कहूंगा कि हरियाणा के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। हरियाणा के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने जो फेसला किया है वह भाानदार है, इस प्रदे ा के लोग इस बात को जानते है।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

श्री सुजान सिंह एम.एल.ए. के त्याग–पत्र सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजन एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 58 (1) के अनुसार मुझे हाउस को इन्फार्म करना है कि सरदार सुजान सिंह has resigned his seat in the Haryana Legislative Assembly on

his election to the Punjab Legislative Assembly vide his latter dated the 27th September, 1985 and the same has been accepted by me today the 28th September, 1985.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मो ान मूव करेगें।

Irrigation and Power Minister (Chaudrhi Samsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

The the proceedings on the items of bussiness fixed for today be exmpted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly" Indefinitely.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि आज के लिए फिक्सड बिजनैस की आईटम जो प्रोसीडिंग्ज से आज की बैठक मे इन्डैफिनेटली रूल 'सिटिंग्ज आफ दी असैम्बली' से एग्जैम्पट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं –

कि आज के लिए फिक्सड बिजनैस की आईटम जो प्रोसीडिंग्ज से आज की बैठक मे इन्डैफिनेटली रूल 'सिटिंग्ज आफ दी असैम्बली' से एग्जैम्पट किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मो ान मूव करेगें।

Irrigation and Power Minister (Chaudrhi Samsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई एडजर्न होगी।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई एडजर्न होगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः अब फाईनैंस मिनिस्टर टेबल आफ दी हाउस पर पेपर ले करैगें।

Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta): Sir, I beg to lay on the Table the report of the comptrooller and Auditor General of India for the year 1983-84 (Revenue

Receipts) relating to the Government of Haryana in pursuance of teh provisions of Clause (2) of Article 151 of teh Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the table the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 1983-84 (Commercial) relating to the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

बिल्ज

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 3) बिल, 1976

श्री अध्यक्ष: अब फाईनैंस मिनिस्टर, हरियाणा एप्रोप्रिए ान (न. 3) बिल, 1985 को इन्ट्रोड्यूस करने और कंसीडर करने का मो ान मूव करेगें।

Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1985.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि ि ाड्यूल बिल का ि ाडयूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: Not the Finace Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा कौमन परपजिज लैंड ऐक्वि ान एंड रैंट रिकवरी बिल, 1985

Development Minister (Chaudhri Rajinder Singh): Sir, I beg to move—

That the Haryana Common Purposes Land Eviction and Rent Recovery Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Common Purposes Land Eviction and Rent Recovery Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Common Purposes Land Eviction and Rent Recovery Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर मूव करेगें कि बिल पास किया जाए।

Development Minister (Ch. Rajendfer Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) दि कोड औफ क्रिमिनल प्रोसोजीर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1985

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर दि कोड औफ क्रिमिनल प्रोसीजन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985 को कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेगें।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं:–

कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक पर तुरनत विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर साहब मूव करेगे कि बिल पास किया जाए।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं:–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) दि पंजाब सिनेमाज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1985

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर साहब दि पंजाब सिनेमाज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1985 को कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेगैं।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं:–

कि पंजाब सिनेमाज (रैगुले ान) हरियाणा सं ाोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion Moved —

That the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर साहब मूव करेगे कि बिल पास किया जाए।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं:–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(v) दि पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडै ान) बिल 1985

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट दि पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1985 को कंसिउर करने के लिए मो ान मूव करेगें।

सीानीय भाासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रका ा महाजन): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं।

कि पंजाब नगर सुधार (हरियाणा सं ाोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amended and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amended and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर औफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट मूव करेगें कि बिल पास किया जाए।

स्थानीय भाासन राजय मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं:–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(vi) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांऊसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमेंट बिल 1985

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर साहब दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैंन ान आफ मैंम्बर्ज)

सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1985 को कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेगें।

11.00 बजें

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): मै प्रस्ताव करता हूं:–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य–भता तथा पैन ान) द्वितीय सं ाोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assemble (Allowances and Pension of Member) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री निहाल सिह (अटेली): स्पीकर साहब, इस बिल का उन लोगों से या नेताओं से सम्बन्ध है जिन्होने आजादी की लड़ाई मे बढ–चढ कर हिस्सा लिया ओर बहुत सफर किया उन लोगो का सम्मानित करने के लिए यह बिल लाया गया है। मै इस बिल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उससे फायदा मिलेगा और साथ ही यह भी उम्मीद करता हूं कि उनकी जो और दिक्कतें है वे भी दूर की जायेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने उन लोगो से बहुत से वायदे किये थें कि पैन ान मे बढौतरी, बसों मे फ्री ट्रैवल और रेस्ट हाउसिज मे रहने की सुविधायें आदि दी जाऐगी। उन पर भी अमल होना

चाहिए ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी महसूस कर सके कि जो कुछ उन्होने दे ा की सेवा की , उसके लिए दे ा उनका सम्मान करता है।

इसके अलावा पिछले सै ान मे मैम्बरों के ट्रैवलिंग अलांउसिंज के बारे मे यह बिल पास किया गया ाि कि अगर कोई मैम्बर कार द्वारा आयेगा तो एक रूपया 25 पैसे किलोमीटर के हिसाब से किराया दिया जाएगा लेकिन उसमें साथ ही यह भी लिखा है कि 'बाई औन कार'। अगर किसी एम.एल.ए. के पिता के नाम या लड़के के नाम या किसी और के नाम कार हो या वह प्राईवेट टैक्सी करके आये ता उसे भी एक रूपया 25 पैसे के हिसाब से किराया भता मिलना चाहियें। यह जो ओन कार वाला भाब्द लिखा है इसे डीलिट किया जाये और उसमे केवल कार भाब्द रखा जायें।

श्री निहाल सिह (अटेली): अध्यक्ष महोदय, राव साहब बहुत पुराने मैम्बर है और मेरे पुराने मित्र भी है। इन्होने एक बात तो ठीक कही कि फ्रीडम फाईटर्ज ने बड़ी भारी कुर्बानी दी है। यह बड़ी अच्छी बात है उन्होने दे ा के लिए काफी कुछ किया है लेकिन उन्होने जो यह बात कही कि उनसे कुछ वायदे किये थे वे जल्दी पूरे किया होने चाहिए। मै यह तो मानता हूं कि एक्स सर्विसमैन ने और स्वतंत्रता सेनानियो ने दे ा की असल सेवा की है या कर रहे है चाहे उनका दे ा की आजादी मे योगदान है या दे ा की सीमा की रक्षा का है।। मै राव साहब को बताना चाहूंगा

कि जितनी फेसेलिटिज आज हरियाणा सरकार ने इन लोगो को दी है भाायद किसी भी प्रदे ा ने इतनी फेसेलिटिज नही दी है। पिछले दिनों जो भी सुविधाये फ्रीडम फाईटर्ज के लिए अनाउन्स की थी वे सभी लागू कर दिी है। जितनी मदद हम लोग उनकी कर सकते थें उतनी हरियाणा सरकार ने की है। हम किसी भी प्रदे ा से इस मामले मे पीछे नही रहे है। सब प्रदे ा वाले कहते है कि हरियाणा सरकार ने फ्रीडम फाईटर्ज के लिये काफी कुछ किया है। आज जो हम यहां बैठे है यह उन्ही की देन है उनकी वजह से हम यहां पर बैठे हुए है। आज हमारे दे ावासियों का कर्तव्य बनता है कि फ्रीडम फाईटर्ज की इज्जत करे और उनका जितना भी सम्मान करे उतना ही थोड़ा है।

दूसरी बात इन्होने यह कही कि कार अलाउन्स सभी को मिलना चाहिये चाहे वे किसी भी कार मे आयें। इन्होने कहा कि आपने एक क्लाज डाल दी कि औन कार होनी चाहिए जिसके कारण एम.एल.एज. अपनी कार के अलावा दूसरी कारों मे आते है उनको नही मिलता। यह क्लाज हमने ठीक डाली हे और ठीक बात भी है। अगर किसी के पास अपनी कार नहीहै तो उसे हम किस हालत मे दे सकते हैं। एम.एल.ए. बस मे फ्री आ सकता है। अगर किसी के पास अपनी कार है तो उसे बाकायदा लेकर रखी है इसलिए उन लोगो को मिलेगा। हमने यह इसलिए भी किया है कि एम.एल.ए. की बदनामी न हो। अगर कोई टैक्सी करके आए तो उस एम.एल.ए. को क्यों दिया जायें। अगर हम ऐसा करेगे तो यह

ठीक बात नही रहेगी। ऐसा करने से एम.एल..ए. की प्रैस्टेज नही बनेगी। इसलिए यह किया है। इन भाब्दों के साथ मै निवेदन करूंगा कि इस बिल का पास किया जायें।

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Legislative Assemble (Allowances and Pension of Member) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: Now the Chief Minister to move that the Bill be passed

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(vii) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन् ान एंड मैडिकल फेसिलिटीज (अमैंडमैंट) बिल 1985

श्री अध्यक्षः अब चीफ मिनिस्टर साहब दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन् ान मैडिकल एंड फेसिलिटीज

(अमैंडमैंट) बिल, 1985 को कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मै प्रस्ताव करता हूं :—

कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष पेन ान तथा चिकित्सा सुविधा (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assmble Speaker's Pension and Medical Facilities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is —

That the Haryana Legislative Assmble Speaker's Pension and Medical Facilities (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं —

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: Now the Chief Minister to move that the Bill be passed

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस साइने–डाई एडजर्न किया जाता है।

***11.07 बजें**

(तत्प चात् सदन अनि चत काल के लिए *स्थगित हुआ)